न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 04 / 20 **वर्ष 2020**

जीसीएम संख्या :–2020 / 00055

बउनवानीः–1. श्रीमति किसकन्धा देवी पत्नि स्व श्री मूलचन्द मीना निवासी जटवाडा कलां तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

2. हरिमोहन पुत्र श्री मूल चन्द मीना निवासी जटवाडा कलां तह0 सवईमाधोपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत जटवाडा कलां जरिये सचिव,ग्रा.प.जटवाडा कलां जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जटवाडा कलां जिला,सवाई मांधोपुर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 28 दिनांक 20.11.2019 द्वारा ग्राम पंचायत जटवाडा कलां पंचायत समिति सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा — वकील प्रार्थी

2. श्री हरिओम गोत्तम — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 18.8..2021**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा कलां के द्वारा जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 20.11.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि प्रार्थीया व उसका परिवार ग्राम जटवाडा कलां का मूल निवासी है तथा प्रार्थीया के बजमाने बुजुर्गो के समय से आबादी होने से करीब 50 वर्ष से ही खसरा नम्बर 3030 / 1106 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम जटवाडा कलां पंचायत समिति व तहसील सवाईमाधोपुर जो वर्तमान समय मे नामा0 संख्या 1159 दिनांक 9.6.2017 द्वारा आदेश श्रीमान तहसीलदार के द्वारा काफी सारे खसरा नम्बर कुल किता 14 कुल रकबा 25.78 है0 गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत जटवाडा कलां के नाम स्वीकार हुआ है जिसमे उक्त खसरा नम्बर 3030 / 1106 रकबा 7.60 है0 भूमि आबादी में तब्दील हो चुकी है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी निगरानीकर्ता का करीब 50 वर्षो से इसी आराजी ख0न0 3030 / 1106 रकबा 7.06 है0 मे रोड के सहारे 75X45 फीट पर रिहायशी कब्जा चला आ रहा है रिहायशी कब्जे के लिए छान बना रखी है, चारा भूसा भरने का छप्पर बना रखा है खाने पीने का सामान सोने बैठने के लिए चारपाई बिस्तर,बर्तन, बक्सा लोहे का रखा हुआ है तथा चारो ओर कांटो की बाड बना रखी है बडे–बडे नीम के वृक्ष सफेदा, शीशम के वृक्ष लगा रहे है जो करीब 40–50 वर्ष से लगे हुए है। प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व में सी0सी0 रोड़ पश्चिम में कालूराम का बाडा, उत्तर मे रोड़ व दक्षिण में मिश्री पत्नि जगराम, जगदीशी पत्नि मथुरा का खेत है। उक्त रिहायशी भूखण्ड का पटटा जारी करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा दिनांक 6.11.2019 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा कलां को प्रस्तुत किया उसके बाद राजनैतिक द्वेषता की वजह से तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थी को जानबू[illegible] दर से रकम जमा नहीकरके पटटा जारी नही किया बल्कि फर्जीयत करते हुए आंगन[illegible] के नाम से एक फर्जी पटटा बिना कोल ग्राम पंचायत जटवाडा कलां की [illegible] जटवाडा कलां में चालू चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 मे [illegible] मे कुल किता 14 कु[illegible] 25.78 है0 गै0मु0 आबादी का आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर [illegible] दिया गया है उसमे [illegible]ए 1000 व्यक्तियों के पास भी आबादी भूमि का पटटा नही है किन्तु प्र[illegible]या ने आबादी भूमि का [illegible]ने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:15 IST
Reason: SelfAttested

लिए दिनांक 6.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अवहेलना की है। तथा प्रार्थी को बाजार दर से कीमत नही लेकर निःशुल्क पटटा जारी नही करने की ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से मिलकर यह साज की है जबकि जमाबन्दी 2073 से 2076 के अनुसार 103 बीघा भूमि आबादी में प्रार्थीया के रिहायशी भूखण्ड का अनुचित कार्यवाही करके फर्जी पटटा जारी किया है। जबकि सरपंच का लगभग 2 बीघा भूमि पर कब्जा है जो कानून गलत है। तत्कालीन ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण मेम्बरान ने प्रार्थीगण के पक्ष मे एक पंचनामा बनाकर दिया है तथा कोरम की बिना सहमति के अकेले सरपंच को पटटा देने का कानून अधिकार प्राप्त नही है। अतः आदेश जैर निगरानी अपास्त फरमाया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

: विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि दिनांक 12.9.2019 को श्रीमति रणजीत कोर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम जटवाडा कलां में मीना बस्ती में तृतीय आगंनवाडी केन्द्र के भवन हेतु पटटा उपलब्ध कराने बाबत दिया जाने पर नक्शा तैयार कर दिनांक 20.9.2021 को कोरम में प्रस्तुत होने पर नियम 146(2) के तहत मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु तीन वार्डपंचो की समिति गठित की गयी तथा समिति द्वारा दिनांक 7.10.2019 को मौका रिपोर्ट पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत करने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया किन्तु दिनांक 15.11.2019 तक नियम 148 के तहत जारी नोटिस के अनुसार कोई आपत्ति पंचायत के समक्ष पेश नही होने पर दिनांक 20.11.2019 को सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुए विधिवत तरीके से आगंनवाडी केन्द्र तृतीय के लिए ग्राम पंचायत जटवाडा कलां द्वारा निःशुल्क पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आगंनवाडी केन्द्र तृतीय हेतु पटटा जारी करने बाबत श्रीमति रणजीत कोर के द्वारा दिनांक 12.9.2019 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर पंचायत द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की जाकर उक्त आगंनबाडी केन्द्र हेतु दिनांक 20.11.2019 को पट्टा जारी किया है। निगरानीकार द्वारा पटटा बनवाने हेतु दिनांक 6.11.2019 को प्रार्थना पत्र दिया जाना बताया है जबकि आगंनबाडी भवन हेतु पटटा बनाने का प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता से पूर्व ही प्रस्तुत हो चुका था। निगरानीकार का यह कथन उचित नही है कि उनके द्वारा शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करने के आग्रह के बाद भी पट्टा जारी नही किया है क्योकि ग्राम पंचायत को अपने स्वामित्व की आबादी भूमि पर किसी भी सरकारी भवन हेतु प्राथमिकता से निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार है। अर्थात ग्राम पंचायत आंगनबाडी केन्द्र हेतु निःशुल्क पटटा जारी कर सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 20.11.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.8.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर